

दस ह० स्टाम्प न० 13 AA 613007 संलग्न है



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

30 पिरान कलियर

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, फुरकान अहमद पुत्र/पुत्री/प्रत्नी मौ हसन
आयु 43 (तिताली) वर्ष, जो ग्राम रामपुर त. रुडकी जि. हरिद्वार
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/~~करती हूँ~~/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/~~करती हूँ~~:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। लागू नहीं
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):- लागू नहीं
 - (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
 - (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
 - (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं
 - (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई लागू नहीं
 - (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था लागू नहीं
 - (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लागू नहीं
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ~~दृश्यमान~~ मया है/नहीं

फुरकान अहमद

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है लागू नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) X राज्य X

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे लागू नहीं

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....
लागू नहीं

स्थान रुड़की
तारीख 10-01-2012

पुरकान कश्यप
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रुड़की स्थान पर आज तारीख 10-01-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पुरकान कश्यप

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

WITNESSED
10/1/12
Subhash Chandra Sheel
Mag. No. 21(3) 2012
On Nov. 1, Civil Court, Moorkee
Resid-50, Civil Lines, Moorkee (U.K.)

WITNESSED
10/1/12
JAHANGIR ALAM
Advocate
R.No.U.P.703/201 Civil Court
MOORKEE (Dist. Haridwar)



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 613007

फुरकान अहमद पुत्र श्री प्रौ हसन नि.शा. रागपुर ता. रुड़की
जिला हरिद्वार



दिनांक - 10.01.2012 ई

ह. फुरकान अहमद

ATTESTED

ह. फुरकान अहमद
Subhash Chandra Bhatia
Notary Public
Reg. No. 21(5) 2003
Clt. No. 1, Civil Court Roorkee
Resi. 30, Civil Lines, Roorkee (U.K.)

IDENTIFIED BY.

सा. JAHANGEER ALAM
Advocate
R.No. U.P. 730/03 Civil Court
ROORKEE (Distt. Haridwar)